



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276382
CG-DL-E-22092026-276382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4972]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4972]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5178(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 45070:2026 वर्गीय अपेक्षाएँ

	सेलुलर प्रणालियों के लिए 40, 30 एवं 20 मीटर ऊँचाई वाले टावर
2.	टी ई सी 59061:2026 परीक्षण निर्देशिका ट्रंक मीडिया गेटवे

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department Of Telecommunications)****(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standard
(1)	(2)
1.	TEC 45070:2026 Generic Requirements 40, 30 and 20 meter towers for cellular systems
2.	TEC 59061:2026 Test Guide Trunk Media Gateway

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General